# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर०ए०एस०
वाद सं० 81/15
निर्णय दिनांकः 10.05.2018

1. मांगूराम पुत्र लखाराम जाति गुर्जर नि0 सरथला तह0 सांभरलेक हाल नि0 ग्राम बवली गुढ़ा तह0 नांवा जिला नागौर

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज

## निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी के पिता लखाराम व किशना सगे भाई थे तथा किसना नाऔलाद फौत हो गया जिसका कानूनी व विधिक उत्तराधिकारी एकमात्र वादी है। स्व0 किशना पुत्र हरला पुत्र हरलाल जाति गुर्जर की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी जिसका भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान राज्य संवत् 2015 से 2022 के पृष्ठ सं0 16 में क्रम सं0 16 के खाता सं0 16 की आराजी खं0नं0 284 रकबा 8 बीघा 1 विस्वा बारानी चारम ग्राम सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके वर्तमान खं0नं0 311 रकबा 8 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 313 रकबा 23 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 315 रकबा 58 बीघा 12 विस्वा किता 3 कुल रकबा 91 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 सांभरलेक में स्थित है। जिसमें किशना पुत्र..........हिस्सा 1/12 दर्ज है जिसे आगे विवादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी के काका किशना पुत्र हरला उर्फ हरलाल की खातेदारी की थी जिस पर वादी व वादी के पिता व काका निरन्तर काबिज व काश्त चले आ रहे थे तथा किशना की पत्नि चन्दादेवी का स्वर्गवास किशना के स्वर्गवास से पूर्व ही दिनांक 04.07.75 को नाआलौद हो चुका है किशना के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। राजस्व रिकोर्ड में तत्कालीन पटवारी व रेवेन्यू अधिकारी द्वारा सहवन से किशना पुत्र हरला उर्फ हरलाल के स्थान पर केवल मात्र "किशना पुत्र.... ..........हिस्सा 1/12 अंकित कर दिया अर्थात् किशना के पिता हरला उर्फ हरलाल का नाम अंकित नहीं किया गया जबकि वास्तविक खातेदार किशना पुत्र हरला उर्फ हरलाल ही था। वादी के काका किशना की खातेदारी में उक्त आराजी चली आ रही है जबकि खातेदारी के पश्चात् निरन्तर कब्जा काश्त किशना के जीवनकाल में

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

का रहा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके कानूनी वारिस व ...री वादी का चला आ रहा है वादी द्वारा अपने काका किशना की उक्त ... अपने नाम फौती नामान्तकरण खुलाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये ... हल्का द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में वादी को बताया कि आपके ...ना के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड मे अंकित नहीं है जिसे आप द्वारा ...राना आवश्यक है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का कोरसीना से उक्त ... जमाबन्दी की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 30.04.15 को प्राप्त की तब ... जानकारी प्राप्त हुई। सर्वप्रथम सहवन से किशना पुत्र.................के स्थान ...ना पुत्र हरला उर्फ हरलाल अंकित किया जाकर दुरूस्ती होना परमा ... है तत्पश्चात उसके स्थान पर वादी के नाम फौती नामान्तकरण का ... खातेदार का इन्द्राज होना आवश्यक है इसलिए वादी को अपने अधिकारों ...ा हेतु उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

...उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब ...या। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित ...गया कि उक्त भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् ...2029 में क्रम सं0 133 के पृष्ट सं0 61 पर मुताबिक हुक्म श्रीमान् ...ओ0 साहब मि.नं. 995 दिनांक 26.12.58 के आधार पर ख0नं0 311, 313 व ...की खाता हाजा से खारिज करके मेवा पुत्र रूपा हि0 1/6, हरबीना पुत्र गोपी ...1/12, सुखा पुत्र मन्ना हि0 1/12, किशना पुत्र...............हि0 1/12 व अन्य ...कारों को भूमि अलाट की गई। जिसमें वादी के पिता के पिता का नाम अंकन ...है अतः आवंटन के समय से वर्तमान तक किशना पुत्र चला आ रहा है इसमें ... प्रकार की भूल व त्रुटि नहीं हुई है अतः वाद खारिज योग्य है। तनकीयात ...म की गयी। वकील वादी ने स्वंय वादी मांगूराम, गवाह कानाराम, मेवाराम के ... पत्र पेश किये गये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके ... 2018 अटल सेवा केन्द्र कोरसीना में पेश हुयी। तहसीलदार फुलेरा द्वारा फर्द ...का पर्चा तैयार कर पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि किशना की ...ल्दयत के बारे में उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो बताया कि किशना ...ति गुर्जर सरथला का निवासी नहीं होना बताया तथा कभी सरथला गांव में नहीं ... उक्त व्यक्ति किशना पुत्र हरलाल जाति गुर्जर नि0 बवली गुढ़ा है इस नाम के ...क्ति की दिनांक 01.10.98 को ग्राम बवली गुढ़ा में मृत्यु हो चुकी है जिसका ग्राम ...ायत खारड़िया पंचायत समिति कुचामन सिटी के द्वारा क्रंमाक 37 दिनांक ...2.12.14 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि ...ाम सरथला मे खातेदारी भूमि ख0नं0 311, 313, 315 किता 3 कुल रकबा 91 ...ीघा 5 विस्वा मे दर्ज किशना जाति गुर्जर जिसमें पिता का नाम दर्ज नहीं है उक्त ...ाम का व्यक्ति व किशना पुत्र हरला जाति गुर्जर नि0 बवली गुढ़ा एक ही व्यक्ति

...अधिकारी
...र लोक

Scanned by CamScanner

बताया है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर गवाहान व तहसीलदार, पटवारी हल्का ताक्षर किये उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली मे शामिल की गयी।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम ला, भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट फोटो कॉपी, वारिस प्रमाण पत्र, किसना, चन्दादेवी, राम, सुवादेवी केमृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, राशनकार्ड मांगूराम की फोटो प्रति की है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली र्द मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस ाय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 311 रकबा 8 बीघा 14 विस्वा, नं0 313 रकबा 23 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 315 रकबा 58 बीघा 12 विस्वा ता 3 कुल रकबा 91 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 सांभरलेक जिला पुर में दर्ज किशना पुत्र..........हि0 1/12 के स्थान पर किशना पुत्र हरला उर्फ लाल हि0 1/12 दर्ज कर वादी को उक्त 1/12 हिस्सें का खातेदार काश्तकार षित किया जाता है फौती नामान्तकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार फुलेरा विस्तृत च कर उचित कार्यवाही करें। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार लेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। ावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प रसीना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक अधिकारी
साँभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

मांगूराम बनाम तहसीलदार फुलेरा वगै0
दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नंबर 81/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री शमीममुल हक व हाजरी ........ .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 311 रकबा 8 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 313 रकबा 23 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 315 रकबा 58 बीघा 12 विस्वा किता 3 कुल रकबा 91 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 सांभरलेक जिला जयपुर में दर्ज किशना पुत्र.........हि0 1/12 के स्थान पर किशना पुत्र हरला उर्फ हरलाल हि0 1/12 दर्ज कर वादी को उक्त 1/12 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है फौती नामान्तकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार फुलेरा विस्तृत जांच कर उचित कार्यवाही करें।............................................................................ ......निज .......................... मुबलिग.................................... बाबत्............................ ... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह........................................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........

मुहर
ओहदा

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner